163

# मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक 15/06 /मा0अनु0(जोन–डी)मयंक/10 दिनांक 11-2-2010

## मेरठ विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

तलपट मानचित्र सं0 **15/06** कालोनी का नाम **यशोदा कुंज विस्तार**, मवाना रोड, मेरठ ग्राम/वार्ड/योंजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित खसरा सं0 **226(पार्ट)**, **227(पार्ट)**, **236(पार्ट)**, **237(पार्ट)**, **238(पार्ट)**, **239(पार्ट)** एवं **240(पार्ट)**, ग्राम **कसेरूबक्सर** पर विकसित योजना के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त प्रमाण–पत्र का परीक्षण श्री यशपाल सिंह, मुख्य नगर नियोजक दिनांक 30–01–2010 को विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः निम्न शर्तो के अधीन :–

1– स्थल के निकट ट्रंक सीवर डाले जाने की स्थिति में आन्तरिक सीवर को ट्रंक से जोड़ने का कार्य कालोनाइजर द्वारा स्वयं किया जायेगा।

2– विकसित की गयी कालोनी को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरण की समस्त जिम्मेदारी कालोनाइजर की होगी एवं नगर निगम को हस्तान्तरण किये जाने तक आन्तरिक विकास कार्यो के रख–रखाव की जिम्मेदारी कालोनाइजर की होगी।

अतः उपरोक्त शर्तो के अधीन उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 (यथा संशोधित) की धारा–15क (2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर

पदनाम :– मुख्य नगर नियोजक

कार्यालय की मुहर

(यशपाल सिंह)
मुख्य नगर नियोजक

दिनांक 11·2·2010

Certificate & Map
Recd By
11/2/0?

**प्रभारी अधिकारी,**

कृपया दांई ओर संलग्न मै0 इण्डस वैली प्रोमोटर्स द्वारा श्री अजय गुप्ता के पत्र दिनांक 09.01.10 एवं उक्त पत्र पर उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 21.01.10 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें आवेदक द्वारा तलपट मानचित्र सं. 15/06 का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है।

कृपया अवगत कराना है कि मै0 इण्डस वैली प्रोमोटर्स द्वारा मवाना रोड पर ग्राम कसेरू-बक्सर तथा ग्राम अम्हैड़ा-आदिपुर की भूमि पर यशोदा कुंज कालोनी का तलपट मानचित्र सं. 13/04 व यशोदा कुंज विस्तार कालोनी का तलपट मानचित्र सं. 15/06 प्राधिकरण से स्वीकृत कराया गया था। स्थल पर दोनों तलपट मानचित्र की भूमि को एकीकृत करते हुए यशोदा कुंज नामक कालोनी विकसित की गई है। पूर्व में आवेदक द्वारा तलपट मानचित्र सं. 13/04 का पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया था, जिसके सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा स्थल के सम्बन्ध में कतिपय आपत्तियां अंकित की गई थी। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा यशोदा कुंज कालोनी का दिनांक 11.12.09 को स्थल निरीक्षण किया गया था, जिसमें उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सम्पूर्ण यशोदा कुंज कालोनी के विकास कार्यो पर सन्तोष व्यक्त किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा गठित समिति की आपत्तियों को निक्षेपित करते हुए पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके क्रम में तलपट मानचित्र सं. 13/04 का पूर्णता प्रमाण-पत्र दिनांक 07.01.10 को निर्गत किया गया।

आवेदक द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 09.01.10 के द्वारा तलपट मानचित्र सं. 15/06 का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है। यशोदा कुंज कालोनी में तलपट मानचित्र सं. 15/06 (यशोदा कुंज विस्तार) के अन्तर्गत सम्मिलित भाग का [illegible] स्थल निरीक्षण किया गया. जिसमें पाया गया कि विकासकर्ता द्वारा

कालोनी में आन्तरिक विकास कार्य यथा पार्क, पानी की सप्लाई (जोनल पम्पिंग स्टेशन), सीवर लाईन, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सड़के, वृक्षारोपण आदि सुविधाओं का प्राविधान किया गया है। आवेदक द्वारा स्थल के अन्तर्गत समस्त आन्तरिक विकास कार्यो को अंकित करते हुए यशोदा कुंज कालोनी के शेष भाग (यशोदा कुंज विस्तार) का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है। स्थल पर आन्तरिक विकास कार्य सन्तोषजनक कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आख्या अग्रिम आदेशार्थ प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर) JE
29.1.2010
अवर अभियन्ता

(हस्ताक्षर) JE
28.1.2010
अवर अभियन्ता

(हस्ताक्षर)
29.01.2010
प्रभारी अधिकारी (मानचित्र)

उपरोक्त पत्रावली अवलोकन करने का कष्ट करें। उपरोक्त आख्यानुसार स्थल पर आन्तरिक विकास कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सन्तोषजनक हैं अतः यशोदा कुंज विस्तार इन शर्तों के साथ कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।

शर्त (1) स्थल पर ट्रंक सीवर डाले जाने की स्थिति में आन्तरिक सीवर को ट्रंक सीवर से जोड़ने का कार्य कालोनाइजर को स्वयं करना होगा

(2) विकसित की गयी कालोनी को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरण की समस्त जिम्मेदारी कालोनाइजर की होगी एवं नगर निगम को हस्तान्तरण किये जाने तक आन्तरिक विकास कार्यों का रखरखाव की जिम्मेदारी

भी कॉलोनी नई और की होगी।

उपरोक्त शर्तों के अनुसार यशोदा कुंज विस्तार का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के आदेश देना चाहें।

[signature]
30.1.2010
मुख्य नगर नियोजक

[signature]
30/1/2010
SEC

उपरोक्तानुसार सहमत।

[signature]
30.1.2010
उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

प्रभारी अधिकारी/CTP

क्र० तलपट मा०स० 15/06 (यशोदा कुंज विस्तार कालोनी) के कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र हेतु उपाध्यक्ष महोदय के उपरोक्त आदेश दि० 30.1.2010 के द्वारा कतिपय शर्तों के साथ सहमति प्रदान कर दी गयी है। उपरोक्त सहमति के क्रम में आवेदक को जारी किये जाने वाले कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र का प्रारूप तैयार कर दाहिनी ओर संलग्न है। कम्पलीशन ड्राइंग पर मोहर लगवा दी गयी है। अवलोकनार्थ हस्ताक्षर कर मुख्य नगर नियोजक महोदय के हस्ताक्षरार्थ अग्रसारित करने का कष्ट करें।

[signature] 10.2.2010
अवर अभियन्ता

J.E [signature] 10.2.10
अवर अभियन्ता

[signature] 10.02.2010
प्रभारी अधिकारी (मानचित्र)

[signature] 11.2.2010
CTP

(यशपाल सिंह)
मुख्य नगर नियोजक